



॥ ओ३म् ॥
दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय
आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Brief Report

Brief Report of Project / Field/ Internship Work (1.3.3)

Name of the Project Undertaken	Project on Rights	
Academic Session	2018-19	
Organizing Department/ Committee	Department of Political Science	
Total Number of Students Participated in the Project	20	
Brief Report	The Project entitled Rights was undertaken by the Department of Political Science during the session of 2018-19 under the guidance of Internal Quality Assurance Cell of the Institution. Total – students participated in the project activity and successfully completed the project. The completion certificate has been given to the students. All students found it very interesting to learn through the experiential learning. They enjoyed the project work.	
Criterion :1	Metric no-1.3.3	
Signature of Co-Ordinator	Signature & Stamp of IQAC Co-Ordinator  IQAC Coordinator Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya Jaripatka, Nagpur	Signature of & Stamp of Principal  Principal Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya Jaripatka, Nagpur

Students Information

S.N.	Name of Student	Program	Class
1	Akanksha R Mendole	B.A.	I
2	Amisha G Meshram	B.A.	I
3	Anchal S Thakur	B.A.	I
4	Anuprit D Saram	B.A.	I
5	Ashwini I Mohkar	B.A.	I
6	Gitika D Raut	B.A.	I
7	Janvi A Katarpawar	B.A.	I
8	Joshna R khandekar	B.A.	I
9	Kajal B Yadav	B.A.	I
10	Kanchan S Choudhary	B.A.	I
11	KhushiRKhote	B.A.	I
12	Kamla J Sahu	B.A.	I
13	Lakmi R Shukla	B.A.	I
14	Lakshmi R Vishvakarma	B.A.	I
15	Madhu D Dhakad	B.A.	I
16	Neha S Gupta	B.A.	I
17	Preeti KOnkari	B.A.	I
18	Rushika M Borkar	B.A.	I
19	Sakshi A Pujari	B.A.	I
20	Siddhi M Huddar	B.A.	I

Front Page of Project

SESSION : 2018-20


NAME : Akanksha R. Mendote

CLASS : BA 1st

SUBJECT : POLITICAL SCIENCE

TOPIC : RIGHTS

COLLEGE : DAYANAND ARYA KANYA
MAHAVIDYALYA JARIPTKA
NAGPUR





ओ३म्

ARYA VIDYA SABHA'S

**DAYANAND ARYA KANYA
MAHAVIDYALAYA**

Jaripatka, Nagpur.

'Skill Development Course'



Organised By

Department of Political Science

CERTIFICATE

This is to certify that Ku. Akanksha R Mendole Student Of B.A. I
participated in **"SKILL Development Short - Term Certificate
Course"** from July 2018 to Nov 2019

Bmthool

Co-Ordinator

Principal

**Dr. Babita M Thool,
Dept. of Political Science,
DAKM, Nagpur**

Dr. Shradha Anilkumar
Principal
Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya
Jaripatka, Nagpur

Principal

**Dr. Shradha Anilkumar,
DAKM, Nagpur**

Project Copy

विषय का चुनाव

जीवन ही अधिकार हमारे सामाजिक जिने के बिना न तो अविचार्य हो सकते हैं। व्यक्ति का विकास कर सकता है। जीवन न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। परन्तु : अधिकारी के बिना मानव समाज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है।

द्वारा सरकार से किण्व गण हार्वे लोगों समाज और कानून की सदस्यता प्राप्त होनी है उन्हें किण्व अधिकारी कहते हैं। अधिकारी का अर्थ एक समाज से दूसरे समाज में और एक काल से दूसरे काल में अलग हो जाता है।



देश के भीतर व्यापार और वितीय बाजार का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धा के एवज में एशियाई देशों की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने के लिए और बदले में वैश्व बाजार में देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

ये जाति, लिंग, राष्ट्रियता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और श्रम से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, और बहुत कुछ शामिल है।

प्रस्तावना

हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्राप्त है। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं। परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। छिन्ने मनुष्य के अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। संक्षेप में अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की पूर्णता नहीं की जा सकती इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य द्वारा

अधिकारिक विस्तृत अधिकार प्रदान कि
 जाने है।
 अधिकार वे सामाजिक
 परिस्थितियां तथा अपसर है जो मनुष्य
 के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए
 आवश्यक है। अधिकार उन सुविधाओं
 को कहते हैं जिनका उपयोग कर
 मनुष्य अपने जीवन को सुखी और
 सार्थक बना सकता है। जिस समाज
 में नागरिक के जितने अधिक अधिकार
 स्वीकार कर लिए जाते हैं वह समाज
 उतना ही अधिक उन्नत माना जाते
 हैं।

अर्थ

व्यक्ति के अधिकार वे पावे
 होते हैं। जिनको समाज द्वारा मान्यता
 प्राप्त होती है और जिन्हें राज्य
 सरकार प्रदान करता है। अधिकार मनुष्य
 के हकदारी अथवा ऐसा दावा है
 जिसका अंतर्निहित सिद्ध्य होना सह
 बनाता है कि नागरिक, व्यक्ति और
 मनुष्य होने के नाते हम किसके
 हकदार है यह ऐसी चीज है जिसके
 हम अपना प्राप्य समझते हैं ऐसी
 चीज जिसे सब समाज ऐसे वेध पावे
 के रूप में स्वीकार करे जिसका
 अनुमान अन्तिम है। प्रत्येक मनुष्य
 में कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं
 इन शक्तियों के विकास हेतु वह
 समाज के सामने कुछ मांग रखता है
 यह मांग अनेक प्रकार की हो सकती है

कुछ नैतिक तथा स्त्रीमानिक कल्याण के
 दिन में तो अन्य अनैतिक और
 पूर्णतः स्वार्थपूर्ण होती है।
 जो मांगे सरकार को अधिकार देकर
 और सिद्धांतों को संविधान में छेद
 भारत को प्रदान किए गए हैं।
 (आधिकार प्रदान किए गए हैं।
 समता का अधिकार
 1 स्वतंत्रता का अधिकार
 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार
 3 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
 4 संस्कृति और शिदा संबंधी अधिकार
 5 सर्वैयानिक उपचारों का अधिकार
 6



परिभाषा

1. पाइल्ड : "आधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता युक्ति संगत मांग है।"
2. पारकी : "आधिकार सामाजिक जिवन के परिधि विना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।"
3. सायमंड : "सत्य (न्याय) के द्वारा राक्षित हित ही अधिकार है कोई भी हित, जिसका आर करना कर्तव्य और जिसका अल्लघन अनुचित हो, अधिकार कहलाता है।"
4. ग्रीन : "आधिकार वह शक्ति है जिससे मांग लोककल्याण के लिए की जाती और जिसे इसी आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है।"
5. वार्डर : "आधिकार वे बाहरी परिधि जो व्यक्ति के अधिकतम विषय के लिए आवश्यक है और जिसे अल्पविध्य राज्य द्वारा संरक्षित होती है।"

प्रकार

उदारवादी संसुद्ध अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं।

नैतिक अधिकार
वैधानिक अथवा कानूनी अधिकार

वैधानिक अधिकार के दो प्रकार होते हैं।

सामाजिक अधिकार
राजनीतिक अधिकार

अधिकार

नैतिक अधिकार वैधानिक / कानूनी अधिकार

सामाजिक अधिकार राजनीतिक अधिकार

<p>व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार</p> <p>जिवन जिने का अधिकार</p> <p>संपत्ति का अधिकार</p> <p>विचार प्रवृत्ति स्वतंत्रता का अधिकार</p>	<p>मतदान का अधिकार</p> <p>निर्वाचित होने का अधिकार</p> <p>सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार</p> <p>सरकार को पदमुक्त करने का अधिकार</p>
---	--

आधिकार

आधिकार

संगठन बनाने का अधिकार

शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार

1 नैतिक अधिकार (Moral Rights) नैतिक अधिकार व नैतिक अधिकार होते हैं। जिनका संबंध नैतिक व्यवहार से होता है तथा वे समाज के मान्यता पर आधारित होते हैं। माता-पिता, गुरुजन, वयोवृद्धों (बुढ़े) का अपमान करना समाज की नैतिक भाव होती है इन अधिकारों को राज्य की मान्यता नहीं होती, इसलिए इन अधिकारों का पालन करना अपराधी नहीं करना बहुरूपता की वृद्धा पर निर्भर करता है। नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानून द्वारा दंडित करना की व्यवस्था नहीं होती।

2 वैधानिक अधिकार (Legal Rights) राज्य के कानून के अनुसार जिन अधिकारों की व्यवस्था की जाती है उन्हें वैधानिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को कानून की सुरक्षा होने के कारण अधिकार का उल्लंघन होने पर दोषी को न्यायालय द्वारा दंडित



निष्कर्ष

मानव अधिकार वैसे अधिकार हैं जो हमारे पास सम्मिलित हैं। व्यक्ति हम मनुष्य हैं। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, किसी अन्य विषय पर कोई परवाह किये बिना ये हम सभी के सम्मिलित स्वार्थभोग्य हैं।

मानव अधिकारों को अधिकारों के रूप में प्राप्त गाए मिल अधिकार हैं, जो समाज के हर जगह समान हैं। प्रत्येक किसी व्यक्ति की जाति पंथ, रंग



संदर्भ

राजनीति संस्थान ग्रंथ

राजनीति पारिभाषिक शब्दावली

विचार

=> डॉ. अमर बोस